फाइल सं0 9(1)2016/17वीं सीएसी/एन्फ/एफएसएसएआई

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

प्रवर्तन प्रभाग

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

---

22 जून 2016 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति की 17वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की 17वीं बैठक दिनांक 22 जून, 2016 को इंडिया हैबिटाट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाग लेने वालों की सूची **अनुबंध-1** पर दी गई है।

2. बैठक केंद्रीय सलाहकार समिति के नए नामित सदस्यों के स्वागत के साथ आरंभ हुई और उसने निवर्तमान सदस्यों के योगदान को सराहा। एफएसएसएआई के नव नियुक्त अधिकारियों का परिचय भी दिया गया। कार्रवाई कार्यसूची के अनुसार आरंभ हुई।

मद सं0 1

हित का प्रकटन

सदस्यों ने हित की घोषणा का फार्म भरा और प्रस्तुत किया।

मद सं0 2

सीएसी की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सीएसी की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और उसे अंगीकार किया गया।

मद सं0 3

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

1. दिनांक 03.02.2016 को हुई सीएसी की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को नोट किया गया।

कार्रवाई: राज्य/संघ शासित क्षेत्र नगर पालिकाओं/निगमों इत्यादि के साथ उठाए गए मुद्दों जैसे अन्य मुद्दों सहित स्टाफ की कमी के मुद्दे आवश्यक होने पर एफएसएसएआई से मदद के लिए सूचित करें।

कार्यसूची की मद सं0 17.1

मानकों एवं विनियम में स्टेटस एवं नवीनतम संशोधनों के बारे में प्रस्तुतीकरण

1. सलाहकार (मानक) ने मानकों एवं विनियमों में नवीनतम संशोधनों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें उन्होंने हाल ही में अधिसूचित विनियमों एवं मानकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उन पर एफएक्यू बनाने के लिए अपना फीडबैक/शंकाएँ देने का अनुरोध किया। सीएसी के सदस्यों ने हाल के संशोधन नोट किए।
2. सीएसी को विभिन्न खाद्य वस्तुओं के और अधिक मानकों को समय पर अधिसूचित करने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों से अवगत कराया गया। खाद्य संरक्षा आयुक्तों को अनुरोध किया गया कि वे इन संशोधनों से अपने क्षेत्रों के सभी संबंधित गण को अवगत कराएँ।

3. बैठक के दौरान मानकों को अधिसूचित करने से पहले उन्हें क्रियान्वित करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई और इस संबंध में राज्यों से विचार मांगे गए।

कार्रवाई: राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुरोध किया गया कि वे प्राधिकरण को नए विनियमों के एफएक्यू बनाने में मदद करें, जिन्हें एफएसएसएआई की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

कार्यसूची की मद सं0 17.2

एफएसएसएआई द्वारा एशिया के लिए कोडेक्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के 20वे सत्र का आयोजन

1. सहायक निदेशक (कोडेक्स) ने 26 सितंबर से 30 सितंबर, 2016 तक आयोजित होने वाले एशिया के लिए कोडेक्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के 20वें सत्र के आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों के ब्यौरों का प्रस्तुतीकरण दिया। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को अनुरोध किया गया कि वे सीसीएशिया के कुछ सत्रों में भाग लेने के लिए समय उपलब्ध रखें। सीएसी की अगली बैठक उस समय के आस-पास करने का निर्णय लिया गया।

कार्रवाई: सलाहकार (कोडेक्स) विशिष्ट निमंत्रण भेजें।

कार्यसूची की मद सं0 17.3

एफएसएमएस में प्रस्तावित गतिविधियाँ

1. निदेशक (आयात) ने निदेशक (एफएसएमएस) की तरफ से सीएसी को हाल ही में बनाए गए एफएसएमएस प्रभाग द्वारा शुरू किए गए कार्यों से अवगत कराया। 9 तकनीकी पैनल बनाने के बारे में भी औचित्य बताया गया। यह बताया गया कि इनसे एफएसएसएआई की गतिविधियों में आमूल परिवर्तन होगा। सीएसी को रेस्तराओं और धार्मिक स्थानों में खाद्य संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई पहलों के बारे में अवगत कराया गया।
2. एफएसएस (खाद्य व्यवसाय लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के अंतर्गत परिसरों में लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण शर्त बनाने के मामले पर भी चर्चा की गई। यह महसूस किया गया कि परिसरों में खाद्य संरक्षा प्रदर्शन बोर्ड लगाए जा सकते हैं, जिसमें पंजीकरण/लाइसेंस सं0, व्यवसाय-सापेक्ष खाद्य स्वच्छता से संबंधित सुझाव और चिंताओं पर फीडबैक के लिए संपर्क संख्या का उल्लेख हो। यह निर्णय लिया गया कि ये डिस्प्ले बोर्ड और फीडबैक प्रणाली को विनियमों में परिवर्तन करने के बाद लागू करने से पहले प्रायोगिक आधार पर लागू किए जाएँ।
3. निगरानी योजना के बारे में सूचना देते हुए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई ने बताया कि खाद्य वस्तु विशेष, उदाहरणार्थ तेल, दूध, जल इत्यादि के लिए निगरानी फार्म बनाने की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी।

कार्रवाई: 1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र तकनीकी पैनलों के लिए सदस्य/विशेषज्ञ नामित करें।

2) राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपनी पसंद की वस्तु को ध्यान में रखते हुए ऐसा निगरानी अभियान चलाने के लिए अपने नामांकन भेजें।

कार्यसूची की मद सं0 17.4

खाद्य परीक्षण, निगरानी एवं जोखिम आकलन

1. प्रमुख (गुणता आश्वासन) ने खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सशक्त बनाने की योजना के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। इस संदर्भ में यह सूचित किया गया कि तकनीकी सहयोग के साथ-साथ वित्तीय सहयोग योजना का अंग होगा। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को योजना के विवरण उपलब्ध करा दिए जाएँगे। श्री सुखविंदर सिंह, डी ओ चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ में प्रचालित की

जा रही चल परीक्षण प्रयोगशालाओं के बारे में सूचित किया और एफएसएसएआई के साथ एसओपी साझा करने के लिए सहमति प्रकट की।

2. सीएसी को दुग्ध गुणता सर्वेक्षण, 2016 के बारे में सूचित किया गया। श्री एस. एस. मरवाहा ने समिति को पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर द्वारा किए गए ऐसे ही अध्ययनों के बारे में सूचित किया।
3. डॉ. जे. लीविस ने जोखिम आकलन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जोखिम आकलन केंद्र स्थापित करने के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया।

कार्रवाई: 1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र खाद्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन के बारे में भरे हुए फीडबैक फार्म भेजें।

2) श्री सुखविंदर सिंह, डी ओ, चंडीगढ़ कृपया एफएसएसएआई को चल परीक्षण प्रयोगशालाओं का एसओपी भेजें।

कार्यसूची की मद सं0 17.5

खाद्य कारबारी लाइसेंसिंग और पंजीकरण

1. पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (सीएससी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। सुश्री लोतिका खजूरिया ने समिति के साथ जम्मू एवं कश्मीर में पहले ही प्रचालित सीएससी (खिदमत केंद्र) के साथ अपने अनुभव साझा किए। कुछ सदस्यों की शंकाओं पर यह स्पष्टीकरण दिया गया कि सीएससी पंजीकरण की सभी वर्तमान व्यवस्थाओं के साथ एक सुविधादाता मंच होगा।
2. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में खाद्य व्यवसायियों के कम कवरेज को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लाइसेंसिंग/पंजीकरण को बढ़ाने के उपाय करने का अनुरोध किया गया। यह भी बताया गया कि चूँकि मौजूदा लाइसेंसों के अंतरण की समय-सीमा आखिरी बार के लिए 4 अगस्त, 2016 तक के लिए बढ़ा दी गई है, राज्य/संघ शासित क्षेत्र लाइसेंसिंग/पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चला सकते हैं।

कार्रवाई: 1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं का उपयोग उठाने के संबंध में फीडबैक देने के साथ-साथ एफएसएसएआई को अन्य संगत सूचना दिनांक 1 जुलाई, 2016 तक उपलब्ध करा दें।

2) राज्य/संघ शासित क्षेत्र भरे हुए फीडबैक फॉर्म भेजें।

कार्यसूची की मद सं0 17.6

लाइसेंसिंग विनियमों का सरलीकरण एवं पुनरीक्षा

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई ने समिति को व्यापक विचार-विमर्श के बाद अंतिमित एफएसएस (खाद्य व्यवसाय लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में अवगत कराया। इन पुनरीक्षणों से लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण की प्रक्रिया सरल बन जाएगी।

कार्रवाई: राज्य/संघ शासित क्षेत्र विनियम में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में अपनी सम्मतियाँ भेजें।

कार्यसूची की मद सं0 17.7

एफएसएसएआई एप का प्रयोग करते हुए उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रबंधन

1. श्री बेजोन कुमार मिश्रा और श्री जी श्रीधर द्वारा प्रस्तावित शिकायत प्रबंधन प्रणाली के बारे में संयुक्त रूप से प्रस्तुतीकरण दिया। यह बताया गया कि वर्तमान शिकायत निपटान प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और नई प्रणाली से शिकायतों के बेहतर निपटान में सहायता मिलेगी जिससे उपभोक्ता का विश्वास पैदा होगा। इस बात पर बल दिया गया कि इस प्रणाली का विकास इस प्रकार किया जाएगा जिससे राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की प्रवर्तन मशीनरी पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। यह बताया गया कि जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पहले ही कोई सशक्त प्रणाली काम कर रही है, वे उसे जारी रख सकते हैं।

कार्रवाई: राज्य/संघ शासित क्षेत्र शिकायतों के निपटान के संबंध में अपने अनुभव एवं सुझाव साझा करें।

कार्यसूची की मद सं0 17.8

प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण

1. सीएमएसओ, एफएसएसएआई ने प्रशिक्षण एवं आईईसी संबंधी हाल ही की गतिविधियों और पहलों के बारे में बताया। सुश्री मृणालिनि दर्सवाल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली ने समिति के साथ स्वच्छ स्ट्रीट फूड के बारे में अपने अनुभव साझा किए। सीईओ, एफएसएसएआई ने अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को परियोजना आरंभ करने का अनुरोध किया।

कार्रवाई: 1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र नए नियुक्त अधिकारियों को परिचय प्रशिक्षण के लिए नामित करें।

2) राज्य/संघ शासित क्षेत्र कार्यसूची में पात्रता संबंधी मानदंडों के आधार पर प्रशिक्षण सहयोगी के रूप में पैनलबद्ध की जाने वाली संस्थाओं के बारे में सिफारिशें भेजें।

निदेशक (प्रवर्तन) ने सीएसी बैठक का समाहार करते हुए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुरोध किया कि वे बैठक के दौरान उपलब्ध कराए गए फॉर्म को सही प्रकार भरकर जुलाई, 2016 के पहले सप्ताह तक भेज दें।

हस्ता/-

(राकेश सी. शर्मा)
निदेशक (प्रवर्तन)

हस्ता/-

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुबंध-1

केंद्रीय सलाहकार समिति की दिनांक 22 जून, 2016 को इंडिया हैबिटाट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली में हुई 17वीं बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफएसएसएआई ने सीईओ, एफएसएसएआई एवं अध्यक्ष, सीएसी के अनुरोध पर बैठक में भाग लिया।

क. सीएसी के सदस्य:-

1. श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी–अध्यक्ष, सीएसी

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त

2. श्री के.एस.पी.वी. पवन कुमार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, असम
3. डॉ. मृणालिनी दर्सवाल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली
4. श्री सलीम वेल्जी, निदेशक, एफडीए निदेशालय, गोआ
5. डॉ. एच. जी. कोशिया, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात
6. श्री राजीव रतन, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हरियाणा
7. श्री पी एस वस्त्राड़, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, कर्नाटक
8. डॉ. के. रूपारी, प्रधान निदेशक और खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मिजोरम
9. श्री डी. प्रशांत कुमार रेड्डी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, ओडिशा
10. श्री हुसन लाल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पंजाब
11. श्रीमती गोधूलि मुखर्जी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पश्चिमी बंगाल

विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य (प्राइवेट सदस्य)

12. डॉ. दीपा भाजकर, 'डी' टेक्नोलॉजी
13. श्री जॉर्ज चेरियन, निदेशक, कट्स इंटरनैशनल, जयपुर
14. श्री अजय वीर जाखड़, भारत कृषक समाज
15. डॉ. एस. एस. मरवाहा, पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर
16. डॉ. टी. पी. राजेंद्रन, कृषि
17. श्री बी. के. मिस्र, कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन
18. सुश्री निरुपमा शर्मा, उप सचिव, पीएचडी चैंबर्स, विशेष आमंत्रिति
19. श्री डी. वी. मल्हन, कार्यकारी सचिव, आल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि

20. श्री के. अनिल कुमार, संयुक्त आयुक्त, केरल
21. डॉ. परमानंद, संयुक्त आयुक्त, हरियाणा
22. श्री के. श्रीनिवासा गौड़ा, संयुक्त निदेशक, कर्नाटक
23. श्री आशीष कुमार गगन, पब्लिक एनालिस्ट, पंजाब
24. श्री यू. के. मित्रा, खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, अरुणाचल प्रदेश
25. श्री एस. जी. अन्नपुरे, खाद्य सुरक्षा संयुक्त आयुक्त, महाराष्ट्र

26. श्री गणेश पार्लिकर, खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त, महाराष्ट्र
27. श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, संयुक्त नियंत्रक, मध्य प्रदेश
28. श्री देवेंद्र वर्मा, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी
29. श्री आर. एस. रावत, डी ओ, उत्तराखंड
30. डॉ. उत्तम प्रधान, निदेशक, स्वास्थ्य, सिक्किम
31. श्रीमती लोतिका खजूरिया, नियंत्रक, औषध एवं खाद्य, जम्मू एवं कश्मीर
32. श्री सुखविंदर सिंह, डीओ, चंडीगढ़
33. श्री विजय बहादुर, सहायक आयुक्त, उत्तर प्रदेश
34. श्री विनीत कुमार, अभिनामित अधिकारी, उत्तर प्रदेश

ख. मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रिति

35. श्री के. एल. शर्मा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
36. डॉ. सुशील के. खुराना, परामर्शदाता, कृषि एवं सहकारिता विभाग
37. श्री एच. एस. बिष्ट, निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
38. श्री के. बी. सुब्रमण्यन्, उप सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
39. डॉ. बी. जी. पांडियन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
40. डॉ. अमिताव दत्त, अपर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, कार्यकारी निदेशक (स्वास्थ्य), रेल मंत्रालय
41. श्री के. एस. पंचपाल, पंचायती राज मंत्रालय
42. डॉ. सुतुपा मुखर्जी, संयुक्त तकनीकी सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
43. श्री आर. के. गुप्ता, उपायुक्त, पशु पालन एवं मत्स्य विभाग
44. श्री भास्कर बंद्योपाध्याय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

ग. विशेष आमंत्रिति

45. डॉ. दिनेश त्यागी, सीईओ, सीएससी
46. श्री कमल कक्कड़, सीएससी
47. सुश्री सौमी बैनर्जी, सीएससी
48. श्री कुलदीप शर्मा, सुरुचि कंसलटेंट्स
49. श्री आई. एन. मूर्ति, वरिष्ठ महाप्रबंधक, एनआईएसजी, हैदराबाद
50. श्री श्रीधर डी, महाप्रबंधक, एनआईएसजी, हैदराबाद

घ. एफएसएसएआई अधिकारी

51. सुश्री माध्वी दास, मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी
52. श्री कुमार अनिल, सलाहकार (मानक)
53. श्री राकेश चन्द्र शर्मा, निदेशक (प्रवर्तन)
54. श्री बिमल कुमार दुबे, निदेशक (आयात)
55. श्री राज सिंह, प्रमुख (पीसी एवं जीए)
56. श्री आर के गुप्ता, प्रमुख (गुणता आश्वासन)
57. डॉ. रूबीना शाहीन, निदेशक (उत्पाद अनुमोदन)
58. श्री एस. के. यादव, निदेशक (सतर्कता)
59. श्री तन्मय प्रसाद, सीआईटीओ

60. श्री अजय तिवारी, उपनिदेशक (गुणता आश्वासन)
61. श्री डी पी गुहा, सीएलए/एओ (कोलकाता और गुवाहाटी)
62. श्री अनिल मेहता, सीएलए/एओ (दिल्ली)
63. डॉ. गायकवाड़, सीएलए (मुंबई)
64. श्री कार्तिकेयन, सहायक निदेशक (विनियम/कोडेक्स)
65. श्री एस. अनूप, सहायक निदेशक (प्रवर्तन)
66. श्री प्रभात कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक (प्रवर्तन)
67. श्री ए. रस्तोगी, सहायक निदेशक (निगरानी)
68. सुश्री मलिका तनेजा, सहायक निदेशक (आईईसी)
69. श्री एस. मीणा, सहायक निदेशक (पीसी एवं जीए)
70. श्री रविन्द्र कुमार, सहायक निदेशक (पीसी एवं जीए)

*किसी नाम की वर्तनी में गलती गैर-इरादतन है, जिसके लिए खेद है।

अनुबंध-2

बैठक के दौरान उठे कार्रवाई के मुद्दे

बैठक में हुई चर्चा के दौरान कार्रवाई के निम्नलिखित मुद्दे उठे:

क. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए कार्रवाई के मुद्दे

1. राज्य/संघ शासित क्षेत्र एफएसएसएआई को कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं का उपयोग उठाने संबंधी फीडबैक के साथ-साथ अन्य संगत सूचना 1 जुलाई, 2016 से पूर्व उपलब्ध कराएँ।
2. राज्य/संघ शासित क्षेत्र भरा हुई फीडबैक फार्म अधिक से अधिक जुलाई के पहले सप्ताह तक भेज दें।
3. राज्य/संघ शासित क्षेत्र नगर पालिकाओं/निगमों इत्यादि के साथ उठाए गए मुद्दों जैसे अन्य मुद्दों सहित स्टाफ की कमी के मुद्दे आवश्यक होने पर एफएसएसएआई से मदद के लिए सूचित करें।
4. राज्यों को अनुरोध किया गया कि वे प्राधिकरण को नए नियमों के एफएक्यू बनाने में मदद करें, जिन्हें एफएसएसएआई की वेबसाइट पर डाला जाएगा।
5. राज्य/संघ शासित क्षेत्र 26 सितंबर से 30 सितंबर, 2016 तक के किसी कार्यक्रम में भागीदारी की पुष्टि करें।
6. राज्य/संघ शासित क्षेत्र तकनीकी पैनलों के लिए सदस्य नामित करें।
7. राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपनी पसंद की वस्तु को ध्यान में रखते हुए ऐसा निगरानी अभियान चलाने के लिए अपने नामांकन भेजें।
8. श्री सुखविंदर सिंह, डी ओ, चंडीगढ़ कृपया एफएसएसएआई को चल परीक्षण प्रयोगशालाओं का एसओपी भेजें।
9. राज्य/संघ शासित क्षेत्र विनियमों में प्रस्तावित संशोधन पर अपनी सम्मतियाँ भेजें।
10. राज्य/संघ शासित क्षेत्र शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में अपने सुझाव और अनुभव साझा करें।
11. राज्य/संघ शासित क्षेत्र नव नियुक्त अधिकारियों को परिचय प्रशिक्षण के लिए नामित करें।

ख. एफएसएसएआई के लिए कार्रवाई के मुद्दे

1. क्यूए प्रभाग श्री एस. एस. मरवाहा से दुग्ध सर्वे के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करके उसके मॉड का अध्ययन करें।
2. प्रवर्तन प्रभाग तुरत संदर्भ के लिए एफएसएसएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध सभी प्रस्तुतीकरण दें।